राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 **जयपुर, दिनांक 29 JAN 2014**

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान ,जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त. राजस्थान।
5. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त) राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम (समस्त) राजस्थान।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :— "प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012—13" के दौरान दिनांक 31.1.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं छूटों के संबंध में दिशा—निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 193/2012 के अनुसरण में **"प्रशासन शहरों के संग अभियान"** हेतु विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.10.2012 द्वारा और इसके अनुक्रम में समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विविध आदेशों के तहत अभियान के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएं/छूटें दी गयी हैं तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन भी किया गया है।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2.4.2013 द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान—2012—13 की follow-up अवधि अब तक लागू सभी शिथिलताओं, छूटों तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) के साथ दिनांक 31.3.2013 से बढाकर दिनांक 30.6.2013 की गयी, तत्पश्चात् विभागीय समसंख्यक आदेशों द्वारा उक्त अवधि दिनांक 30 सितम्बर, 2013 निर्धारित कर उक्त शिथिलताएं/छूटें एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि दिनांक 30 सितम्बर, 2013 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर लागू माने जाने बाबत् आदेश प्रसारित किये गये। तत्पश्चात् विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.9.2013 द्वारा दिनांक 30.9.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.12.2013 तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार "प्रशासन शहरों के संग **अभियान" की अवधि दिनांक 31.01.2014 तक बढाई जाती है।** दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में **"प्रशासन शहरों के संग अभियान"** के दौरान विविध आदेशों के द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएं, छूटें तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) दिनांक 31.03.2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो, तक प्रभावी होगा।

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012—13 के दौरान दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.03.2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो, तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डी0बी0गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक 29 JAN 2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर (समस्त)।
5. निजी सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/राजस्व/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/सार्वजनिक निर्माण/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/महिला एवं बाल विकास विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका ....।
11. संयुक्त शासन सचिव/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

(उज्ज्वल राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांकः 03.01.2014

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपक्रम द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन के लिए निर्धारित समयावधि अर्थात् निष्पादन की दिनांक से 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपक्रमों से पुर्नवैध एवं पुनः निष्पादित करवाकर दिनांक 31.03.2014 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे विलेखों या लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगीः–

क्र.सं.	विवरण	देय स्टाम्प ड्यूटी
1	2	3
1.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से।
2.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह पश्चात एवं चार माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से।
3.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से चार माह पश्चात एवं आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से।

परन्तु उक्तानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी दिनांक 31.01.2014 तक संबंधित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर जारी विलेखों/लिखतों पर ही लागू होगी तथा संबंधित निकाय द्वारा आवश्यक रूप से इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करना होगा अथवा विलेखों/लिखतों पर पृष्ठांकन करना होगा कि ऐसा विलेख/लिखत दिनांक 31.01.2014 तक प्रस्तुत आवेदन के आधार पर ही जारी किया गया है।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12–83)
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

E:\Ramesh 2\Notification_Hindi_A4.doc74

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांकः 03.01.2014

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपक्रम द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर दिनांक 31.03.2014 तक सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगीः–

क.सं.	विवरण	देय स्टाम्प ड्यूटी
1	2	3
1.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि पर कन्वेन्स की दर से।
2.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह पश्चात एवं 4 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।
3.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 4 माह पश्चात एवं 8 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।

परन्तु उक्तानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी दिनांक 31.01.2014 तक संबंधित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर जारी विलेखों/लिखतों पर ही लागू होगी तथा संबंधित निकाय द्वारा आवश्यक रूप से इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करना होगा अथवा विलेखों/लिखतों पर पृष्ठांकन करना होगा कि ऐसा विलेख/लिखत दिनांक 31.01.2014 तक प्रस्तुत आवेदन के आधार पर ही जारी किया गया है।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12–84)
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

E:\Rama Ji\Notification_Hindi_A4.docx77

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांकः 03.01.2014

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्द्वारा राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा हेतु नियम 4 के उप–नियम (1) या नियमितिकरण के लिए नियम 16 के उप–नियम (1) के अधीन दिनांक 31.01.2014 तक प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा दिनांक 31.03.2014 तक प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान करती है।

(सं.एफ.2(70)वित्त/कर/12–85)
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

E:\Ramesh 20\Notification_Hindi_A4.docx70

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, dated: 03.01.2014

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on every intermediary unregistered and unstamped instrument of transfer of immovable property executed after allotment/sale by Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Rajasthan Housing Board, Urban Improvement Trust, Municipal Corporation, Municipal Council or Municipal Board, shall be reduced and charged on amount of original allotment instead of market value of the property, on the following conditions that:-

(1) the leaseholder along with his lease deed shall submit a certificate before the Registering Officer issued by any of the above mentioned local authority stating therein the amount of original allotment, the number of intermediary unregistered and unstamped instruments executed in respect of the immovable property;

(2) the Registering Officer shall ensure payment of above reduced stamp duty on every such intermediary unregistered and unstamped instrument before registering the lease deed; and

(3) on the basis of such intermediary unregistered and unstamped instrument the lease deed shall be executed and submitted for registration upto 31.03.2014.

Provided that the concerned lease deed has been issued on the basis of the application received upto 31.01.2014 and a certificate to this effect has been issued by the concerned Urban Local Body.

[No.F.2(19)FD/Tax/2007-86]
By order of the Governor,

(Aditya Pareek)
Joint Secretary to the Government

E:\Ramzan Ji\Notification_Eng_.doc59

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(C) of extra ordinary gazette. Along with a soft copy in CD. It is requested 10 copies of this notification may sent to this department and 20 copies along with bill may be sent to Inspector General, Registration & Stamps, Raj. Ajmer. Please ensure that soft copy in CD is same as hard copy provided to you for publication.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister (Finance Minister). Raj., Jaipur.
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Principal Secretary, UDH and LSG Department, Raj., Jaipur.
5. Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer.
6. PS to Pr. Secretary, Finance Department.
7. PS to Pr. Secretary, Revenue Department
8. PS to Pr. Secretary, Law Department
9. PS to Secretary, Finance (Rev.) Department.
10. Director, Public Relation Department, Raj., Jaipur.
11. System Analyst, Finance (Computer Cell) Department, Secretariat, Jaipur.
12. Guard File.

Joint Secretary to the Government

E:\Raman JR\Notification_Eng_.doc60

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांकः 03.01.2014

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, आदेश देती है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए या तत्समय प्रचलित धारा 90बी के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्, नगर सुधार न्यास तथा अन्य स्थानीय निकायों में निहित भूमि का इन निकायों द्वारा सुसंगत विधि/नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन उपरान्त जारी पट्टों का पंजीयन दिनांक 31.03.2014 तक कराने की स्थिति में, स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्नानुसार देय होगीः–

1. यदि पट्टा विलेख स्वयं खातेदार के पक्ष में अथवा पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी 500/–रूपये देय होगी।
2. यदि पट्टा विलेख दिनांक 30.09.2012 तक निष्पादित अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहीता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज पैनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किराये की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
3. उपरोक्त निकायो के द्वारा नियमन उपरान्त आवंटित भूखण्डों के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 23 व 25 के अनुसार निर्धारित 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों से पुर्नवैध एवं पुनः निष्पादित करवाकर दिनांक 31.03.2014 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विलेख/लिखत पर स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज, पैनल्टी की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

परन्तु उक्तानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी दिनांक 31.01.2014 तक संबंधित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर जारी पट्टों पर ही लागू होगी तथा संबंधित निकाय द्वारा आवश्यक रूप से इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करना होगा अथवा पट्टे पर पृष्टांकन करना होगा कि ऐसा पट्टा दिनांक 31.01.2014 तक प्रस्तुत आवेदन के आधार पर ही जारी किया गया है।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12–82)
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव